संख्या-14/2024/524/003-78-01099-48-2023

प्रेषक,

नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2024

विषय:- उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय के कार्यों के सम्पादन हेतु कन्सल्टेण्ट संस्था को देय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064 (2023-24)/3, दिनांक 31 जनवरी, 2024 एवं पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064(2023-24), दिनांक 18-03-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स मिशन निदेशालय के कार्यों के सम्पादन हेतु कन्सल्टेण्ट संस्था को धनराशि भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 आय-व्ययक के लेखाशीर्ष 2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202- इलेक्ट्रानिक्स-20-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 15.95 लाख (रूपये पन्द्रह लाख, पंचानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26-06-1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(5) धनराशि का आहरण कर उसे पीएलए/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, निदेशक, उद्योग, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(8) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

(9) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त धनराशि की स्वीकृति से योजना के दिशा-निर्देश प्रभावित न हों।

(10) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इस आहरण/भुगतान में किसी प्रकार से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,95,000 (रुपये पंद्रह लाख पंचानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072022000 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-253-X-2023-24, दिनांक 20.02.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

संख्या-14/2024/524(1) 003-78-01099-48-2023तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- उप निदेशक,वित्त मंत्रालय,प्लान फाइनेंस-1डिवीजन व्यय विभाग,भारत सरकार, नई दिल्ली।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजनअनु0-4, उ0प्र0, शासन।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0, शासन।
13- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।